E-ISSN: 2706-8927
P-ISSN: 2706-8919
IJAAS 2019; 1(1): 120-123
Received: 19-05-2019
Accepted: 25-06-2019

डॉ0 समीर कुमार
पी–एच. डी. समाजशास्त्र विभाग, सुन्दरपुर, बेला, दरभंगा, बिहार, भारत

Corresponding Author:
डॉ0 समीर कुमार
पी–एच. डी. समाजशास्त्र विभाग, सुन्दरपुर, बेला, दरभंगा, बिहार, भारत

भारत में अल्पसंख्यक वर्ग एवं मानव अधिकार

डॉ0 समीर कुमार

सारांशः
यह प्रशंसनीय है कि हमारे भारत के संविधान ने देश में अल्पसंख्यकों को संरक्षण दिया है। इन प्रावधानों के महत्व के बारे में संविधान के निर्माता काफी सचेत थे। वे बहुत अच्छी तरह से समझते थे कि, बहुलतावादी समाज में अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। अल्पसंख्यक वर्ग को कुछ विशेष अधिकार देने का विचार उन्हें आबादी के विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के रूप में नहीं माना जाता है, बल्कि अल्पसंख्यक वर्ग को सुरक्षा की भावना देना है। अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारों को डिजाइन करने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि अल्पसंख्यकों के संरक्षण को सुनिश्चित करके समानता लाने के लिए और इन गैर–सरकारी संगठनों के प्रवेश के मामले में स्वायत्तता की गारंटी देकर। भारत का संविधान अनुच्छेद 30 के तहत "भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों" को उनकी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन दोनों के लिए विशेष अधिकार प्रदान करता है। इसलिए स्थापना और प्रशासन के संबंध में इस तरह के किसी भी कानून के तहत भेदभाव नहीं किया जा सकता है। शैक्षणिक संस्थान अन्य शैक्षणिक संस्थानों को दृश्यमान करते हैं। अनुच्छेद 30 धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को उनके संख्यात्मक बाधा के कारण और उनमें आत्मविश्वास की भावना पैदा करने के लिए दिया गया एक विशेष अधिकार है।

मुख्य–शब्दः अल्पसंख्यक; मानव अधिकार; धर्म; बहुसंस्कृतिवाद; शैक्षिक अधिकार।

प्रस्तावना
भारतीय संविधान, 1950, जिसमें राष्ट्रीय और जातीय अल्पसंख्यकों सहित भारत में अल्पसंख्यकों की बहुलता के अस्तित्व के मद्देनजर और देश भर में पहचान के सिद्धांतों से उत्पन्न संघर्षों के मद्देनजर 'अल्पसंख्यक' शब्द की परिभाषा को संशोधित करना चाहिए। और धार्मिक, भाषाई, राष्ट्रीय, जातीय अल्पसंख्यकों सहित श्रेणियों की गणना करें। संविधान में सभी प्रकार की हिंसा से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए विशिष्ट प्रावधानों को भी शामिल किया जाना चाहिए और उन्हें आपराधिक न्याय प्रणाली में न्याय और निष्पक्ष खेल प्रदान करना चाहिए। भारत के संविधान की प्रस्तावना भारत को एक 'धर्मनिरपेक्ष' राज्य घोषित करती है (यह धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रासंगिकता है) और सभी को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और पूजा और स्थिति और अवसर की समानता के लिए सुरक्षित करने के लिए। अल्पसंख्यकों के लिए महत्वपूर्ण असमानताओं का उन्मूलन कमजोर वर्गों (अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अलावा) के लिए उनके कल्याण को सुनिश्चित करता है। धार्मिक सौहार्दपूर्ण, भाषाई, क्षेत्रीय या अनुभागीय विविधताओं को पार करते हुए सामंजस्य और सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना नागरिकों का कर्तव्य होना चाहिए और देश की समृद्ध विरासत और समग्र संस्कृति का संरक्षण करना चाहिए। संविधान में मौलिक अधिकार, अन्य बातों के अलावा, कानून के समक्ष समानता; कानून का समान संरक्षण; धर्म, जाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध; किसी विशेष धर्म को अपनाने, अभ्यास करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता; धार्मिक निर्देश और पूजा आदि की स्वतंत्रता, ये बहु–धार्मिक, बहु–सांस्कृतिक, बहु–नस्लीय भारतीय समाज जैसे कि सांप्रदायिक सद्भाव के साथ भारत के लिए आवश्यक हैं।
एक बहुसांस्कृतिक समाज में, विशिष्ट सांस्कृतिक लक्षणों और पैटर्नों के संरक्षण के लिए, विशेष अधिकारों को धार्मिक संप्रदायों और सांस्कृतिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए मौलिक माना जा सकता है। इस तरह के विशेष अधिकारों में शैक्षिक अधिकार शामिल हो सकते हैं। धार्मिक, सांस्कृतिक या भाषाई संगठन व्यक्तिगत सदस्यों की मांगों के समन्वय के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, सभा, संघ और धर्म की स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार के उपयोग से ही इन सामूहिक अधिकारों का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। राज्य द्वारा महज कृत्रिम इन्सुलेशन के बजाय स्वतंत्रता के उपयोग के माध्यम से उनकी विशिष्ट विशेषताओं के एक सक्रिय जोर से पहचान के संरक्षण के खिलाफ संरक्षण संभव है। इन अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों के रूप में, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों के संरक्षण की गारंटी से उन्हें जीविका सहित कई फायदे मिलते हैं।

मौलिक अधिकारों के अलावा, सांस्कृतिक अधिकारों का एक अद्वितीय स्थान है, क्योंकि वे सांस्कृतिक बहुलता और संस्कृति की रचनाशीलता दोनों को सक्षम करते हैं। एक राष्ट्र के सामाजिक और राजनीतिक कपड़े, विभिन्न संस्कृति–विशिष्ट समुदायों के सामूहिक असहिष्णुता के कुल योग को प्रतिबिंबित करने के बजाय, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की गारंटी की पृष्ठभूमि में सह–अस्तित्व और सहिष्णुता के लिए उनकी अंतर्दृष्टि को एकजुट करने के लिए प्रवृत्त होंगे। अल्पसंख्यक अधिकारों की संयुक्त राष्ट्र घोषणा 1993 का मानना है कि समग्र रूप से जातीय, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बढ़ावा देना और समाज के विकास का एक अभिन्न अंग के रूप में और कानून के शासन के आधार पर एक लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर योगदान देगा। लोगों और राज्यों के बीच दोस्ती और सहयोग को मजबूत करना।

बहिष्कार के खिलाफ मानवता के एक विशाल समुद्र के तट से अल्पसंख्यकों की रक्षा करने की भारतीय सांस्कृतिक परंपरा, अंततः सामूहिक अधिकार की संवैधानिक गारंटी में परिणत हुई। राजसी दृष्टिकोण इतना उभरा है कि संस्कृति के संरक्षण और शैक्षिक मोर्चे में समन्वित अस्मिता के खिलाफ भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए समान अवसर है। पोषित उद्देश्य भारत के कई लोगों, भाषाओं, संस्कृति और धर्म को सहिष्णुता और बौद्धिक विकास के माहौल में रखना था।

अधिकारों के संदर्भ में, अल्पसंख्यकों ने परंपरागत रूप से अपने अधिकारों को उजागर किया है ताकि एक समूह के रूप में उनके अस्तित्व की रक्षा हो, उनकी पहचान की पहचान हो और सार्वजनिक जीवन में उनकी प्रभावी भागीदारी और उनके सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई बहुलतावाद के लिए सम्मान सुरक्षित हो। स्वदेशी लोगों ने भी ऐसे अधिकारों पर प्रकाश डालते हुए, परंपरागत रूप से भूमि और संसाधनों पर अपने अधिकारों को मान्यता देने, आत्मनिर्णय और उन्हें प्रभावित करने वाले मामलों में निर्णय लेने का हिस्सा होने की वकालत की है। स्वदेशी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के लिए राज्यों को विकास गतिविधियों को शुरू करने से पहले अपनी स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति प्राप्त करने के लिए स्वदेशी लोगों के साथ परामर्श करने और सहयोग करने की आवश्यकता होती है, जबकि उन पर प्रभाव पड़ सकता है, जबकि संयुक्त राष्ट्र की अल्पसंख्यक घोषणा में अधिक सामान्य शामिल हैं निर्णय लेने में भाग लेने का अधिकार और आवश्यकता है कि अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्तियों के वैध हितों को राष्ट्रीय योजना और प्रोग्रामिंग में ध्यान में रखा जाना चाहिए।

अल्पसंख्यक

यद्यपि संविधान सभा डिबेट्स से अल्पसंख्यकों शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन यह इकट्ठा किया जा सकता है कि संविधान निर्माताओं ने इसका उपयोग राज्य की जनसंख्या के शक्ति समीकरण में संख्यात्मक रूप से कमजोर समूह को बढ़ावा देने के लिए किया था। राज्य क्षेत्र के भीतर अन्य संख्यात्मक रूप से कम भाषाई समूहों के प्रतिच्छेदन के साथ प्रमुख भाषाई समूहों की क्षेत्रीयता की पृष्ठभूमि में, पंजाब, जम्मू और कश्मीर और नागालैंड जैसे राज्य में धर्म के संदर्भ में संख्यात्मक परीक्षण की अवधारणा सिख, इस्लाम और ईसाई धर्म बनाती है। यह अल्पसंख्यक की संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के अनुरूप भी है, जो अल्पसंख्यक को एक विशिष्ट रूप से कमजोर समूह के रूप में और सामूहिक अधिकारों के रूप में अपने अधिकारों के लिए देखता है। जब से केरल शिक्षा विधेयक आया है, तब से सर्वोच्च न्यायालय संख्यात्मक परीक्षण को लागू कर रहा है, जो यह सवाल खड़ा करता है कि क्या भाषाई या धार्मिक समुदाय की आबादी अल्पसंख्यक का दर्जा देने का दावा करती है, जो राज्य की जनसंख्या के 50 प्रतिशत से कम है। तदनुसार, डी.ए.वी. कॉलेज, भटिंडा, हिंदू धर्म को पंजाब में अल्पसंख्यक धर्म माना जाता था। अभिव्यक्ति सभी अल्पसंख्यकों 'ने अनुच्छेद 30 (1) के तहत अल्पसंख्यकों के बीच समानता के निहित अस्तित्व का सुझाव दिया है। इसलिए, एक सरकारी नियम जो लड़कियों के स्कूल और लड़कों के स्कूल के बीच अलगाव का प्रावधान करता है और एक ही अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों को अपने ही एमईआई में पढ़ाई करने के बजाय एक ही समुदाय के दूसरे स्कूल में पढ़ने के लिए मजबूर करता है, यह असंवैधानिक दृष्टि–रहित अल्पसंख्यक हैं।

संविधान निर्माताओं के लिए, प्रारंभ में, अल्पसंख्यक भाषा शैक्षिक अधिकार की गारंटी के लिए प्रेरणा के स्रोत नेहरू समिति की रिपोर्ट और भारत सरकार का एक संकल्प 1948 थे। नेहरू समिति की रिपोर्ट का प्रासंगिक हिस्सा कहा, "पर्याप्त प्रावधान किया जाएगा। प्राथमिक विद्यालयों में अपनी भाषा के माध्यम से और इस तरह की स्क्रिप्ट के माध्यम से अल्पसंख्यकों के सदस्यों के बच्चों को सार्वजनिक निर्देश प्रदान करने के लिए राज्य द्वारा, जैसा कि उनके बीच प्रचलन में है "। भारत सरकार के संकल्प ने कहा, "यह सिद्धांत कि एक बच्चे को अपनी शिक्षा के शुरुआती चरणों में मातृभाषा के माध्यम से निर्देश दिया जाना चाहिए सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है"।

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार

अनुच्छेद 25 में लिखा है – अंतरात्मा की स्वतंत्रता और मुक्त पेशा, अभ्यास और धर्म का प्रचार–

- सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, और स्वास्थ्य और इस भाग के अन्य प्रावधानों के अधीन, सभी व्यक्ति समान रूप से विवेक की स्वतंत्रता और धर्म का प्रचार, अभ्यास और प्रचार करने के लिए स्वतंत्र रूप से हकदार हैं।
- इस अनुच्छेद में कुछ भी किसी भी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगा या राज्य को कोई कानून बनाने से नहीं रोकेगा –
- किसी भी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधि को विनियमित या प्रतिबंधित करना जो धार्मिक अभ्यास से जुड़ा हो सकता है;
- सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए प्रदान करना या हिंदुओं के सभी वर्गों और वर्गों के लिए एक सार्वजनिक चरित्र के हिंदू धार्मिक संस्थानों को खोलना।

यह अनुच्छेद प्रत्येक व्यक्ति को अंतरात्मा की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है और धर्म का प्रचार, अभ्यास और प्रचार करने का स्वतंत्र रूप से अधिकार देता है। अंतरात्मा की स्वतंत्रता किसी व्यक्ति के मामलों से संबंधित विश्वासों और सिद्धांतों का मनोरंजन करने के अधिकार को जोड़ती है, जो उसके द्वारा उसके आध्यात्मिक कल्याण के लिए अनुकूल माना जाता है। यह अधिकार न केवल ऐसी धार्मिक मान्यताओं का मनोरंजन करने के लिए है, जो उनके निर्णय या विवेक से अनुमोदित हो सकते हैं, बल्कि उनके कार्यों में उनकी भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए भी हो सकते हैं, जैसा कि उनके धर्म द्वारा माना जाता है। किसी धर्म को मानने का अर्थ है स्वतंत्र रूप से और खुले तौर पर किसी के विश्वास की घोषणा करने का अधिकार।

एक व्यक्ति दूसरों के संपादन के लिए अपने धार्मिक विचारों का खुलकर प्रचार कर सकता है। यह सारहीन है कि प्रचार किसी व्यक्ति द्वारा अपनी व्यक्तिगत क्षमता में किया जाता है या किसी चर्च या संस्थान की ओर से। धर्म के अधिकार में यह घोषणा करने का अधिकार शामिल है कि चर्च एपिस्कोपल है।

भारत में अल्पसंख्यक और बहुसंस्कृतिवाद

अल्पसंख्यक लोगों द्वारा आगे और विकसित पहले विश्व देशों में भी निरंतर दावों के प्रतिशोध में और दुनिया भर में अल्पसंख्यकों की कठिनाइयों और बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों के उल्लंघन के

बीच एक गहरी कड़ी ने अकादमिक हलकों में एक नई सोच और विचार–विमर्श को जन्म दिया, जो कि मुख्य रूप से विबनेमक था अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की राजनीति और संस्कृति पर। इसने लोकतांत्रिक सिद्धांतों में 'बहुसंस्कृतिवाद' नामक एक अवधारणा की व्यवस्थित और वैज्ञानिक परीक्षा के लिए दरवाजा खोल दिया। राजनीतिक वैज्ञानिकों ने बहुसंख्यक समाज में अल्पसंख्यकों के अस्तित्व और विशेष अधिकारों, विशेषाधिकारों और रियायतों के महत्व के बारे में विद्वानों की अंतर्दृष्टि और समझ के बारे में सोचना शुरू कर दिया, ताकि अल्पसंख्यक धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति और लोकतंत्र की अपनी विशिष्ट और विशिष्ट पहचान की रक्षा कर सकें। अल्पसंख्यक प्रकृति के पूरक हैं क्योंकि "हमारे पास अल्पसंख्यकों के बिना लोकतंत्र नहीं हो सकता है और" जहां लोकतंत्र नहीं है, ऐसे अल्पसंख्यकों का प्रश्न ही नहीं उठ सकता है। " लोकतंत्र और अल्पसंख्यकों का पूरक और पूरक चरित्र लोकतंत्र की सफलता के लिटमस परीक्षण के रूप में कार्य करता है। भारत जैसा विविधतापूर्ण देश लोकतंत्र की वास्तविक सफलता का दावा कर सकता है यदि भारत में शरण लेने वाले अल्पसंख्यकों को अधिकतम सुरक्षा, सुरक्षा और आत्मविश्वास प्राप्त हो। फ्रेंकलिन रूजवेल्ट ने इस आंकड़े को उजागर किया और कहा कि "कोई भी लोकतंत्र लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता है जो अपने अस्तित्व को अल्पसंख्यकों के अधिकारों की मान्यता के रूप में मौलिक रूप से स्वीकार नहीं करता है।" भारत सामाजिक, आर्थिक और जातीय रूप से विविधता का मोज़ेक है। "पारंपरिक जाति व्यवस्था के तहत, जो अभी भी समाज और राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, भारत में कम से कम, 3000 जातियां और 25000 उपजातियां हैं। देश में 22 आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं जो मिलकर 1500 से अधिक मातृभाषाओं के मात्र अंश का निर्माण करती हैं, जिनमें से 33 को अधिक से अधिक 100,000 लोग बोलते हैं। " भारत में 4635 पहचान योग्य समुदाय विविध हैं जिनमें जैविक लक्षण, पोशाक, भाषा, पूजा के प्रकार, व्यवसाय, भोजन की आदतें और रिश्तेदारी पद्धति शामिल हैं। ये समुदाय एक मिश्रित वंश से जड़ों को प्राप्त करते हैं जिसमें प्रोटो–ऑस्ट्रेटॉइड, पैलियोमेडेरानियन, कोकेशियन, नेग्रोइड और मंगोलोल शामिल हैं। " यह एक समाज में विविधता का दावा करने की बात है, लेकिन यह एक आसान काम नहीं है और इन विविधताओं के बीच एकता बनाए रखना है।

इस तरह के देश की राजनीतिक प्रणाली के पास प्रतिस्पर्धा और तिरछे विरोध और हितों और आकांक्षाओं से बाहर होने वाले संघर्षों और असहमति को संबोधित करने का चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। भारत में, अल्पसंख्यकों की स्थिति और विशेषाधिकारों का एक अनूठा और विशिष्ट अर्थ है क्योंकि यह "अल्पसंख्यकों का एक संघ" है। भारत में सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई और सांस्कृतिक बहुलतावाद ने विभिन्न पहचानों के शांतिपूर्ण सह–अस्तित्व के लिए एक दुष्चक्र बनाया। इसने अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के वर्चस्व वाली इच्छाओं और इच्छाओं के प्रति संवेदनशील बना दिया। भारत में अल्पसंख्यकों द्वारा अपने अधिकारों और पहचानों की सुरक्षा के लिए मांग और संघर्ष भारतीय लोकतंत्र के लिए एक गंभीर सिरदर्द है। "भारत में अल्पसंख्यकों और प्रमुखताओं के बीच लॉगरहेड का इतिहास कई शताब्दियों से पुराना है।" ब्रिटिश साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के खिलाफ भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सांप्रदायिक दंगों के कई उदाहरण हैं, जिनकी परिणिति देश के विभाजन में देखी जा सकती है, जिसके अल्पसंख्यक अधिकारों पर बहुत दूरगामी परिणाम हैं।

सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार

अनुच्छेद 29 में लिखा है – अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण–

- भारत के क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों या किसी भी हिस्से की अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति वाले किसी भी हिस्से को उसी के संरक्षण का अधिकार होगा।
- किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा अनुरक्षित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा या केवल धर्म, जाति, जाति, भाषा या उनमें से किसी के आधार पर राज्य निधियों से सहायता प्राप्त करना।
- अनुच्छेद 30 में लिखा है– अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार–
- सभी अल्पसंख्यकों, चाहे वे धर्म या भाषा के आधार पर हों, उन्हें अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।

अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी शैक्षणिक संस्थान की किसी भी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए प्रदान करने वाले किसी भी कानून को खंड (1) में निर्दिष्ट करते हुए, राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि इस तरह के कानून के तहत निर्धारित या निर्धारित राशि इस अधिग्रहण के लिए है ऐसी संपत्ति ऐसी है जो उस खंड के तहत सही गारंटी को प्रतिबंधित या निरस्त नहीं करेगी।

- राज्य शैक्षिक संस्थानों को सहायता देने में, किसी भी शिक्षण संस्थान के खिलाफ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह अल्पसंख्यक के प्रबंधन के अधीन है, चाहे वह धर्म या भाषा पर आधारित हो।

अनुच्छेद 29 (1) के तहत नागरिकों के किसी भी वर्ग का अधिकार, अलग भाषा, लिपि या संस्कृति है जिसका संरक्षण करने के लिए उन्हें इस उद्देश्य के लिए एक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और रखरखाव करना है। अनुच्छेद 30 (1) के तहत अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों का अधिकार भी शिक्षा के लिए एक आधार और अवसर प्रदान करता है। हालांकि टीएमए पाई फाउंडेशन ने विशेष रूप से अनुच्छेद 19 (1) (जी) और 26 (ए) की उदार व्याख्या द्वारा शैक्षिक संस्थानों की स्थापना के लिए गुंजाइश का विस्तार किया है, लोगों के समूह न तो धार्मिक संप्रदाय से संबंधित हैं और न ही शिक्षकों के कब्जे में हैं और न ही लेखों के तहत आ रहे हैं 29 और 30 को छोड़ दिया जा रहा है।

शिक्षा का अधिकार

यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है कि शिक्षा लोगों को मानव व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए सशक्त बनाती है, मानव अधिकारों के सम्मान को मजबूत करती है, और शोषण और जाति, वर्ग और लिंग की पारंपरिक असमानताओं को दूर करने में मदद करती है। सीखना अज्ञान, अंधविश्वास और पूर्वाग्रह से मुक्त करता है जो सत्य की दृष्टि को अंधा कर देता है। डॉ. एस. राधाकृष्णन के अनुसार, शिक्षा की प्रक्रिया हमारे भीतर के दोषों के अंधेरे पर विजय पाने की धीमी गति है। "हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए, हर तरह के वर्चस्व से हमें मुक्त करना, कारण को छोड़कर, शिक्षा का उद्देश्य है"। यह भविष्य में आधुनिक अर्थव्यवस्था और समाज में सफलतापूर्वक भाग लेने की क्षमता के साथ बेहतर तरीके से जीने की तैयारी है। यह समाज के उत्थान और प्रगति के लिए एकमात्र सबसे शक्तिशाली उपकरण है। शिक्षा सामाजिक–आर्थिक गतिशीलता के लिए सशक्तिकरण है, जो सामाजिक–आर्थिक असमानताओं को कम करने के लिए एक साधन है, और विकास और विकास को गति देने के लिए एक उपकरण है। गरिमापूर्ण जीवन, समानता, स्वतंत्रता और सांस्कृतिक और अल्पसंख्यक अधिकार के लिए शैक्षिक के अधिकार के जुड़ाव ने इसे अत्यधिक जटिल और विभिन्न दृष्टिकोणों से संबंधित नियमों की सीमा को काफी जटिल बना दिया है।

निष्कर्ष

यद्यपि अल्पसंख्यक वे हैं जो अपनी भाषा और संस्कृति के आधार पर संख्यात्मक रूप से कम हैं, यह उपरोक्त तर्कों से स्पष्ट है कि भारतीय संविधान भारतीय क्षेत्रों के कई हिस्सों में रहने वाले अल्पसंख्यकों को कुछ अधिकार प्रदान करता है। भारत के संविधान ने 'अल्पसंख्यक' शब्द को परिभाषित नहीं किया है, लेकिन उन्हें मौलिक अधिकारों के रूप में उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक सभी अवसरों के साथ प्रदान किया है। चूंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए अपने समृद्ध सांस्कृतिक मूल्यों और सहिष्णुता के कारण समानता की स्थिति बनाए रखने के द्वारा राष्ट्र की अखंडता को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, प्रत्येक नागरिक के लिए भारत के संविधान के भाग प्ट.। में दिए गए अनुच्छेद 51। के तहत कुछ मौलिक कर्तव्य भी हैं। कानून का मुख्य ध्यान ऐसे अल्पसंख्यकों के मन में विश्वास पैदा करना है कि वे संविधान के कानून द्वारा संरक्षित हैं और यह भी कि उन्हें बहुमत के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाता है ताकि नागरिकों के बीच किसी तरह का भेदभाव न हो । भारतीय संविधान एक खजाना है जहाँ अल्पसंख्यक विभिन्न लेख और प्रावधान पा सकते हैं जो उनके अधिकारों और विशेषाधिकारों की रक्षा करते हैं। भारत का संविधान विविध संस्कृतियों और पहचानों से संबंधित लोगों के विभिन्न दावों को समायोजित करने और समायोजित करने का एक शानदार उदाहरण है। भारतीय संविधान में, कई तरीके हैं जिनके माध्यम से अल्पसंख्यक अपने अधिकारों की रक्षा करते हैं। इनमें 'प्रस्तावना', मौलिक अधिकार', राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत' और अन्य विभिन्न लेखों और प्रावधानों में निहित आदर्श शामिल हैं। इसलिए यह स्पष्ट है कि भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका है और यह भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों और विशेषाधिकारों की गारंटी देने का महत्वपूर्ण स्रोत है।

संदर्भ

1. माइकल फ्रीमैन, मानवाधिकार, एक अंतःविषय दृष्टिकोण (कैम्ब्रिजः राजनीति प्रेस, 2003), पृ. 116।
2. हुमायूँ कबीर, एक लोकतंत्र में अल्पसंख्यक (कलकत्ताः फ़रमा के एल मुखोपाध्याय, 1968), पीपी. 6–8।
3. सोली जे. सोराबजी, "अल्पसंख्यकः राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण", इकबाल ए. अंसारी, (सं.) में, अल्पसंख्यकों, परिप्रेक्ष्य और दस्तावेजों पर पढ़ना (नई दिल्लीः उद्देश्य अध्ययन संस्थान), वॉल्यूम–1, पृ.66।
4. कैरोलिन एम. बायर्ली, द पालग्रेव इंटरनेशनल हैंडबुक ऑफ़ वीमेन एंड जर्नलिज्म (लंदनः पालग्रेव, 2016), पृ. .385।
5. जॉन दयाल, ए मैटर ऑफ इक्विटीः फ्रीडम ऑफ फेथ इन सेकुलर इंडिया (नई दिल्लीः अनामिका पब्लिशर्स, 2007), पृ. 3
6. अब्दुल रहीम पी. विजापुर, अजय कुमार सिंह और कुमार सुरेश, बहुलवाद, अल्पसंख्यक, राष्ट्रीय एकता, समस्याएँ और संभावनाएँ (नई दिल्ली, दक्षिण एशियाई प्रकाशक, 1997), पृ. 5
7. मोईन शाकिर, अल्पसंख्यकों की राजनीति कुछ परिप्रेक्ष्य (नई दिल्लीः अजंता प्रकाशन, 1980), पृ. 33